

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
30.07.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 1829 का उत्तर  
कालिंदी एक्सप्रेस का ठहराव

1829. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अरौल-मकनपुर रेलवे स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस-14117 और 14118 तथा कानपुर-अनवरगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस-15038 और 15037 अप और डाउन रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): गाड़ियों के ठहराव के प्रावधान के लिए संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालयों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि, ऐसे प्रस्तावों/अनुरोधों/सुझावों का प्राप्त होना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए, ऐसे अभ्यावेदनों/अनुरोधों का केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता। बहरहाल, इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

अरौल मकनपुर स्टेशन को वर्तमान में 10 रेलगाड़ी सेवाओं से सेवित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 14117/18 प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस और 15037/38 कानपुर अनवरगंज-कासगंज एक्सप्रेस का अरौल-मकनपुर के पास बिल्हौर में ठहराव निर्धारित है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर गाड़ियों के ठहराव का प्रावधान करना सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य आदि के अध्ययनीन है।